कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/प्राशि/पंविप/5–8/दिशा निर्देश/2025–26 दिनांक :– यथा–ई–हस्ताक्षर

परीक्षा अति आवश्यक

(1) समस्त
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।

(2) समस्त प्राचार्य,
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान(डाईट)।

(3) समस्त
ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।

विषय : प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण–पत्र परीक्षा (कक्षा–8), 2026 एवं प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा–5), 2026 की ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की अपेक्षित प्रगति हेतु पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन बाबत।

प्रसंग : श्रीमान निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक : शिविरा/प्राशि/पंविप/5–8/दिशा निर्देश/2024/दिनांक : 09.12.2025 (राज काज.रेफ.नं.– 19267624) एवं समसंख्यक पत्रांक (राजकाज क्रमांक – 19444943) दिनांक – 17.12.2025 एवं उक्त दोनों परीक्षाओं के संबंध में प्रसारित समयविभाग चक्र दिनांक : 22.12.2025 (राजकाज क्रमांक – 19522021)।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक दिशानिर्देशों के संबंध में **प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण–पत्र परीक्षा (कक्षा–8), 2026 एवं प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा–5), 2026 के लिए** ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया दिनांक **18.12.2025 (गुरुवार)** से प्रारंभ की जा चुकी है। आपके क्षेत्राधिकार के समस्त राजकीय विद्यालय/राजकीय संस्कृत विद्यालय/मूक बधिर विद्यालय/अंध विद्यालय/निजी विद्यालय/मदरसों के संस्था प्रधान शाला दर्पण (Exam) पोर्टल के माध्यम से जिले के कक्षा 5 एवं 8 के सभी पात्र व नियमित विद्यार्थियों के आवेदन निर्धारित अंतिम दिनांक – **10.01.2026 (शनिवार) रात्रि 11.59 बजे से पूर्व ही** अनिवार्य रूप से पोर्टल पर पूर्ण करवाए जाने हैं, इस संबंध में आप आज ही निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही/व्यवस्थाएं करवाना सुनिश्चित करें –

1. संबंधित विद्यालयों में दिनांक – 25.12.2025 से 05.01.2026 तक शीतकालीन अवकाश अवधि में भी अधीनस्थ संस्थाप्रधानों को प्रेरित करावें कि वे ऐसे समस्त विद्यार्थियों, जिनके विभागीय पोर्टल पर विशुद्ध डेटा/रिकॉर्ड उपलब्ध है के लिए, किसी विशेष समय/अन्तिम तिथि/अवसर की प्रतीक्षा न करते हुए, ऑनलाईन फॉर्म सबमिशन की कार्यवाही तत्काल पूर्ण करावें जिससे कि दिनांक : 05.01.2026 के पश्चात् सर्वर पर अत्यधिक कार्यभार/लोड होने की संभावना के दृष्टिगत विपरीत स्थितियों का सामना न करना पड़े।
2. विद्यार्थी हित को ध्यान में रखकर अधिकाधिक संख्या में पोर्टल पर ऑनलाईन फॉर्म सब्मिशन पूर्ण हो, इसके लिए अपने लॉगिन पर ''विद्यालयवार/ब्लॉकवार आवेदन स्थिति'' रिपोर्ट्स का प्रतिदिन मूल्यांकन, पर्यवेक्षण व आवश्यकतानुसार प्रभावी प्रबोधन करते हुए संबंधित विद्यालयों से सम्पर्क करें एवं उन्हें निरन्तर उक्त कार्य सम्पादन हेतु प्रेरित/पाबन्द करने की कार्यवाही भी करावें।
3. परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन/विभागीय दिशा–निर्देश अथवा अन्य जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट http://education.rajasthan.gov.in एवं शाला दर्पण/पीएसपी वैबपोर्टल का निरंतर अवलोकन करते रहें। साथ ही प्रसारण योग्य निर्देशों/जानकारियों को तुरन्त ही ईमेल, व्हॉट्सएप्प या अन्य उपयुक्त इलैक्ट्रॉनिक प्रसार माध्यमों से संबंधित संस्थाप्रधानों/प्रभारियों तक प्रसारित/शेयर करने की कार्यवाही करें।
4. **सी.बी.एस.ई. अथवा मॉडल विद्यालय जिनके विद्यार्थियों के लिए ऑनलाईन आवेदन नहीं किये जाने हैं, उन्हें Exam पोर्टल व तदनुसार रिपोर्ट्स से पृथक् करने की कार्यवाही कार्यालय स्तर से पूर्ण करावें।**

5. **ऑनलाइन परीक्षा आवेदन किये जाने से सम्बन्धित किसी प्रकार की असुविधा/समस्या/दुविधा होने की स्थिति में संबंधित संस्थाप्रधान/संस्थाप्रधानों से रिपोर्ट लेकर डाईट कार्यालय के माध्यम से श्रेणीवार रिपोर्ट्स/समस्या (यथा विद्यालय की मान्यता या पोर्टल पर ऑनलाईन पंजीकरण, विद्यार्थियों के तृतीय भाषा विषय की मैपिंग इत्यादि अलग–अलग श्रेणी अनुसार) का समेकन करवाते हुए उच्च स्तर पर यथा पी.एस.पी./शालादर्पण हेल्पडेस्क अथवा पंजीयक कार्यालय के ईमेल "panjiyak8ppp@gmail.com" पर प्रेषित करावें।**
6. **आपके क्षेत्राधिकार/जिले के ऐसे निजी संस्थान, जिन्होंनें सत्र 2025–26 में नवीन मान्यता प्राप्त की है तथा जो Exam पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, उनके लिए तुरन्त ही स्थानीय ADPC कार्यालय से सम्पर्क/समन्वयन करते हुए उनके पोर्टल पर पंजीकरण व प्रदर्शित करवाने सम्बन्धी कार्यवाही सम्पादित की जावे।**
7. **राज्य में नवीन गठित 8 जिलों में वर्तमान सत्र में डाइट संस्थानों के विधिवत् रूप से स्थापित/कार्यशील न होने की स्थिति में संबंधित नवीन जिलों हेतु आवेदन परीक्षा से लेकर परीक्षा परिणाम घोषणा व अंकतालिकाओं के वितरण इत्यादि संबंधी समस्त कार्यों के संबंध में पूर्व जिला डाइट्स एवं संबंधित सी.बी.ई.ओ. कार्यालय स्तर से प्रभावी मॉनिटरिंग/पर्यवेक्षण/प्रबोधन कार्य किया जावे।**
8. शेष कार्यवाही कार्यालय स्तर से जारी होने वाले विस्तृत दिशा–निर्देशों के अनुरूप सम्पादित करावें।

इसे पूर्ण प्राथमिकता प्रदान करावें।

(महेश कुमार शर्मा)
पंजीयक
शिक्षा विभागीय परीक्षाएं,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/प्राशि/पंविप/5–8/दिशा निर्देश/2025–26 **दिनांक :– यथा–ई–हस्ताक्षर**

प्रतिलिपिः–

1. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा।
2. समस्त पीईईओ./यूसीईईओ.।
3. समस्त संस्थाप्रधान राजकीय/निजी/मदरसा/संस्कृत विद्यालय को समयबद्ध रीति से कार्य सम्पादित करने बाबत पालनार्थ।
4. रक्षित पत्रावली।

पंजीयक
शिक्षा विभागीय परीक्षाएं,
राजस्थान, बीकानेर

RajKaj Ref No.:
19575645